Introduction and Passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2024-2025

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2024-2025.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के आहरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 35, माननीय मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2024-2025, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?िक वित्तीय वर्ष 2024-2025 के भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के आहरण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर ? 36, माननीय मंत्री जी ।

19.13 hrs